न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 23 / 2022

श्री बाबू लाल बंसल पुत्र श्री सूरजमल बंसल, निवासी छोटा तख्ता, टोंक राज.
——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक, जिला—टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

दिनांक 04.07.2022

निर्णय

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिमकारी एंव तहसीलदार टोंक, जिला—टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 25—04—2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :—

चाही गई कटौतियों का विवरण

संबंधित कार्यालय का नाम	अवधि	राशि
तहसीलदार टोंक	अंशदान व ऋण वापसी दिसम्बर 91 (85 + 500)	585
	महंगाई भत्ता एरियर 1/92 से 4/92 जमा माह 5/92	925
	अंशदान माह नवम्बर 95 बिल नं. 14/01.12.1995	500
	महंगाई भत्ता एरियर 7/95 से 9/95 जमा वर्ष 1995—96	627
	अंशदान माह मई 96 बिल नं. 13/01.06.1996	1000
	अंशदान माह जून 96 बिल नं. 03/01.07.1996	1000
	अंशदान माह अक्टुबर 96 बिल नं. 02/01.11.1996	1000
	महंगाई भत्ता एरियर 1/96 से 4/96 जमा वर्ष 1996—97	936
	अन्तरिम राहत एरियर 4/96 से 8/96 जमा वर्ष 1996—97	975
	महंगाई भत्ता एरियर 7/96 से 8/96 जमा वर्ष 1996—97	645

उपरोक्त कटौतियां मेरे वेतन मे से जीपीएफ खाता सं. 186805 मद में आपके कार्यालय में कार्यरत रहते हुई। उपरोक्त कटौतियां का सत्यापित GA55A मय बिल नं. व टीवी नम्बर दिनांक सहित उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक जिला–टोंक को पत्र क्रमांक 629 दिनांक 16.06.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक जिला–टोंक द्वारा पत्र क्रमांकः 240 दिनांक 27–06–2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना के संबंध में उनके पत्र क्रमांकः 238 दिनांक 24.6.2022 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है कि आप द्वारा चाही गई अन्य सूचना से संबंधित दस्तावेजान (वेतन बिल, अन्य बिल) कि कुल पृष्ठ संख्या 114 की कुल राशि 228 रू0 का पोस्टल आर्डर/ नगद जमा कराकर बिलों की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त कर सकते है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका हैं। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक जिला–टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)

प्रथम अपील अधिकारी

एंव जिला कलेक्टर

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर

सत्यमेव जयते

टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested